संख्या- 95 /2026/आर0एफ0-534 /नौ-9-2026/001-9-2036529

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
कानपुर।

नगर विकास अनुभाग- 9 लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर निगम, कानपुर के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगर निगम द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू0 99.30 लाख (रूपये निन्यानबे लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि रू0 99.30 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 49.65 लाख (रूपये उनचास लाख पैंसठ हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर निगम

अनुदान संख्या-37 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी0 पी0 आर0 के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/ प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	स्तम्भ-(5) में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर निगम, कानपुर	जोन 05 वार्ड 16 जूही परमपुरवा के अंतर्गत ब्रम्हा स्टील चौराहे से तोतापुरवा शौचालय एवं 83/320 से जमील के मकान तक सड़क, नाली व फुटपाथ का सुधार कार्य।	99.30		
		योग	99.30	99.30	49.65

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मोरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2027 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(23) प्रशा0 विभाग द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कोस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49.65 लाख (रूपये उनचास लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 6215021910500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-9-11-X-2026-27**, दिनांक- **18 मई, 2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 19-05-2026
10:58:42

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-95 /2026/आर0एफ0-534 /नौ-9-2026/001-\$-2036529, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, जनपद-कानपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-19/05/2026

प्रेषण संख्या:- 95
आवंटन आदेश संख्या:- 001-95-2026-RF-534-9-9-2026-001-E-2036529
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	कानपुर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4965000 4965000	4965000 4965000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4965000 4965000	4965000 4965000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनचास लाख पैंसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनचास लाख पैंसठ हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव